भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4830

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

कोयले की अत्यधिक कमी

4830. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कोयले के कम उत्पादन और इसके आयात में कमी के कारण देश में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो ताप विद्युत संयंत्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ताकि बिजली संकट न हो;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) द्वारा अपने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 70,000 टन कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कोलरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान स्वदेशी कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 559 एमटी की तुलना में लगभग 601 एमटी था, इस प्रकार, लगभग 7.5% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कैप्टिव कोयला खदानों से कोयले की प्राप्ति भी अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के 44.9 एमटी की तुलना में बढ़कर लगभग 64.1 एमटी हो गई है। इसलिए, चालू वर्ष के दौरान कम आयात (अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के 42.4 एमटी की तुलना में 24.2 एमटी) की प्रतिपूर्ति स्वदेशी स्रोतों द्वारा हुई है और ताप विद्युत संयंत्र अपनी कोयले की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें हैं।

सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) विद्युत संयंत्रों की अपना कोयला स्टॉक बढ़ाने में सहायता करने के लिए, सीआईएल ने अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों से राज्य/केंद्रीय जेनकोज को (सड़क-सह-रेल) आरसीआर/सड़क मार्ग के माध्यम से उठाने के लिए अक्तूबर, 2021 में लगभग 5.2 एमटी और दिसंबर, 2021 में 6 एमटी कोयले का प्रस्ताव किया।

(ii) सरकार ने संशोधित कोयला स्टॉकिंग मानदंड जारी किए हैं, जिसमें विद्युत संयंत्रों को किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय पर्याप्त स्टॉक, यदि आवश्यक हो तो मिश्रण बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया गया है।

(ग) और (घ) : आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की निर्देशात्मक मांग (0.75 लाख टन/दिन) की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दे का समाधान करने के लिए, विद्युत, कोयला, रेलवे मंत्रालय, सीईए, सीआईएल तथा एससीसीएल के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

उप-समूह ने अपनी दिनांक 22.03.2022 को आयोजित बैठक में महानदी कोल लिमिटेड (एमसीएल) तथा एससीसीएल को आंध्र प्रदेश के संयंत्रों को क्रमश: 10 रेक प्रतिदिन और 7 रेक प्रतिदिन की आपूर्ति करने की सलाह दी है। उप-समूह ने उन्हें एमसीएल से आरसीआर मोड के तहत 4 रेक उठाने की सलाह भी दी है।

ii. इसके अतिरिक्त, सीआईएल ने आंध्र प्रदेश के विद्युत संयंत्रों की कोयला स्टॉक बढ़ाने में सहायता करने के लिए आरसीआर/सड़क मार्ग द्वारा उठाने के लिए राउंड-1 (अक्तूबर, 2021) के दौरान 4.97 एलटी और राउंड-2 (दिसंबर, 2021) के दौरान 4.50 एलटी कोयले का प्रस्ताव किया है।

****